| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**राजस्व वाद मु.न. 59/2022**<br>**अनवान स्टेट बनाम कमल किशोर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर सुनी गई।<br>प्रतिवादी/प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 177 R.T. Act की परिधि में नहीं आता है। धारा 177 R.T. Act के दावा के लिए पहले भूमिधारी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया जाना आवश्यक है और प्रा.पत्र पर न्यायालय द्वारा विपक्षी को कारण बताओ नोटिस दिये जाने का प्रावधान अगर ऐसे प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर विपक्षी न्यायालय में उपस्थित होता है और बेदखली किऐ जाने का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित शुल्क का भुगतान करने पर उक्त आवेदन का वाद पत्र समझेगा। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई प्रा.पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, ना ही दावा रजिस्टर करने से पूर्व विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में कानून के आवश्यक प्रावधानो की पालना नहीं की गई है इसलिऐ दावा वादी विधि द्वारा वर्जित दावा की श्रेणी में आता है। भूमिधारी द्वारा विपक्षी को नोटिस दिया गया हो ऐसा भी दावा में वर्णित नहीं है। भूमिधारी को कब व कैसे वादहेतु प्राप्त हुआ यह भी अंकित नहीं है। वादहेतु के अभाव दावा वादी कानूनी नुक्स से ग्रसित है, इसी आधार पर काबिले खारिज है। वादी ने दावा में कथन किया है कि खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति अवैध रूप से छोटे–छोटे प्लॉट काट कर विक्रय किया है। कानून हर उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिऐ जिस पर न्यायालय द्वारा पारित की जाने वाली ड्रिकी का प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। वादी के मुताबिक छोटे छोटे प्लाट काट कर भूमि विक्रय की गई है तो क्रेता कौन–कौन है तथा उन्हें दावा में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इस प्रकार वादी का दावा पक्षकारान के असंयोजन के दोष से ग्रसित है और इसी आधार पर काबिले खारिज है। हल्का पटवारी द्वारा रिर्पोट की गई है कि 3 हैक्टेयर रकबा पर कॉलोनी काटी गई है परन्तु रिर्पोट के साथ किसी प्रकार का नक्शा संलग्न नहीं किया गया है। वादी का दावा अपूर्ण, अस्पष्ट, व भ्रामक है जिसमें कॉज ऑफ एक्शन का भी खुलासा नहीं है, इसी आधार पर दावा वादी काबिले खारिज है। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि जो भी व्यक्ति अभिवचनों को तस्दीक करता है अपने अभिवचनो के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा, शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान आवश्यक है। वादी ने विधि के आवश्यक प्रावधानो की पालना नही की इसलिये दावा वादी इसी आधार पर काबिले खारिज है। वादी का धारा 177 R.T.Act के प्रावधानो की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रकरण नहीं करने सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाने व वादी द्वारा अपने अभिवचनो के समर्थन में शपथ पत्र नहीं देने से वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:18:30 IST
Reason: Self Attested

वादी का दावा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादी/अप्रार्थी ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण पटवारी रिपोर्ट पर संस्थित हुआ है, पूर्व प्रक्रिया अपनाकर दावा प्रस्तुत किया गया है। दावा में सभी तथ्यो को लिखा जाना आवश्यक नहीं है। दावा के विचारण के दौरान वादी द्वारा दावा साबित किया जायेगा। पटवारी ने बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट दी है कि प्रतिवादी द्वारा खातेदारी भूमि को छोटे–छोटे प्लॉट के रूप में विक्रय किया, पटवारी रिपोर्ट स्पष्ट है। अवैध कॉलोनी का नक्शा वादी पक्ष के पास नहीं हो सकता। नक्शा प्रतिवादी के पास है, जो तलब करवाया जा सकता है। दावा में वादी द्वारा सत्यापन किया हुआ है, जो कानून सम्मत है। वादी द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण पालना की है। किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि को कृषि के अलावा प्रयोग में लेने का अधिकारी नहीं होता। प्रतिवादी ने बिना भू–रूपान्तरण करवाये अपनी खातेदारी भूमि को छोटे–छोटे प्लॉट के रूप में विक्रय कर कानून का उल्लघंन किया है, इसलिये प्रतिवादी की खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रतिवादी/ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। जो निम्न प्रकार से हैः–

आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना–वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगाः–

(क) जहां वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन का ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायलय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियम किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(परन्तु मूल्या[illegible] शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प– पत्र के [illegible] के [illegible] न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया [illegible] जब तक कि न्यायलय का अभिलिखित किए [illegible] वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी [illegible]सी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करनें या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:18:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कॉज ऑफ एक्शन का खुलासा नहीं किया गया है। विधि का यह सुस्थापित नियम है कि जो भी व्यक्ति अभिवचनों को तस्दीक करता है अपने अभिवचनो के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा, शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान आवश्यक है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में धारा 177 R.T.Act के प्रावधानो की पालना नही किऐ जाने, वादहेतु का प्रकट नहीं करने एवं वादी द्वारा अपने अभिवचनो के समर्थन में शपथ पत्र नहीं देने से वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी की परिधि में आता है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:18:30 IST
Reason: SelfAttested